विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 79

विद्युत मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	17704.41	1944.17	19648.58	20700.50	1086.50	21787.00	20003.45	2644.85	22648.30	22388.67	658.41	23047.08
वसूलियां	*-1502.72*	*...*	-1502.72	*-1285.00*	*...*	*-1285.00*	*-1285.00*	*...*	*-1285.00*	*-1200.08*	*...*	*-1200.08*
प्राप्तियां	*...*	*-1819.25*	*-1819.25*	*...*	*...*	*...*	*...*	*-1518.30*	*-1518.30*	*...*	*...*	*...*
निवल	**16201.69**	**124.92**	**16326.61**	**19415.50**	**1086.50**	**20502.00**	**18718.45**	**1126.55**	**19845.00**	**21188.59**	**658.41**	**21847.00**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	58.02	4.00	62.02	69.14	4.18	73.32	67.13	11.65	78.78	72.64	6.03	78.67
	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*57.98*	*4.00*	*61.98*	*69.14*	*4.18*	*73.32*	*67.13*	*11.65*	*78.78*	*72.64*	*6.03*	*78.67*
2. सांविधिक प्राधिकरण												
2.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	124.21	1.92	126.13	150.26	2.64	152.90	148.09	2.75	150.84	152.89	2.16	155.05
	-0.05	...	-0.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*124.16*	*1.92*	*126.08*	*150.26*	*2.64*	*152.90*	*148.09*	*2.75*	*150.84*	*152.89*	*2.16*	*155.05*
2.02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	11.77	...	11.77	14.75	...	14.75	10.35	...	10.35	15.50	...	15.50
2.03 जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	2.33	...	2.33	3.94	...	3.94	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00
2.04 बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण	33.23	...	33.23	42.00	0.75	42.75	33.60	0.40	34.00	49.00	1.00	50.00
2.05 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि	108.47	...	108.47	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	100.00	...	100.00
2.06 घटाएं- सीईआरसी द्वारा दी गई राशि	-207.05	...	-207.05	-85.00	...	-85.00	-85.00	...	-85.00	-100.00	...	-100.00
निवल	*72.91*	*1.92*	*74.83*	*210.95*	*3.39*	*214.34*	*193.54*	*3.15*	*196.69*	*220.39*	*3.16*	*223.55*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**130.89**	**5.92**	**136.81**	**280.09**	**7.57**	**287.66**	**260.67**	**14.80**	**275.47**	**293.03**	**9.19**	**302.22**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता												
3. ऊर्जा संरक्षण योजनाएं												
3.01 ऊर्जा सरंक्षण	30.40	...	30.40	25.00	...	25.00	35.00	...	35.00	44.35	...	44.35

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण												
4. विधुत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण												
4.01 स्मार्ट ग्रिड	6.08	...	6.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.02 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	...	...	...	...	1.00	1.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
4.03 राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी	453.71	...	453.71	500.00	...	500.00	200.00	...	200.00	250.00	...	250.00
4.04 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार, (कार्यक्रम घटक)	203.66	...	203.66	600.00	...	600.00	218.27	...	218.27	304.67	...	304.67
4.05 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार (ईएपी घटक)	171.74	...	171.74	0.01	...	0.01	181.73	...	181.73	295.33	...	295.33
4.06 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में ट्रांसमिशन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	1110.67	...	1110.67	1315.01	...	1315.01	1214.66	...	1214.66	0.01	...	0.01
जोड़- विधुत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	*1945.86*	*...*	*1945.86*	*2415.02*	*1.00*	*2416.02*	*1814.66*	*0.01*	*1814.67*	*850.01*	*0.01*	*850.02*
पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
5. विद्युत प्रणाली विकास निधि												
5.01 विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) में अंतरण	1000.00	...	1000.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1100.08	...	1100.08
5.02 विद्युत प्रणाली विकास स्कीम	464.94	...	464.94	747.38	...	747.38	730.80	...	730.80	647.46	...	647.46
5.03 ऋण पर ब्याज का भुगतान	539.49	...	539.49	452.62	...	452.62	469.20	...	469.20	452.62	...	452.62
5.04 घटाएं- विद्युत प्रणाली विकास निधि से प्राप्त राशि	-1000.00	...	-1000.00	-1200.00	...	-1200.00	-1200.00	...	-1200.00	-1100.08	...	-1100.08
निवल	*1004.43*	*...*	*1004.43*	*1200.00*	*...*	*1200.00*	*1200.00*	*...*	*1200.00*	*1100.08*	*...*	*1100.08*
6. सुधार आधारित वितरण स्कीम												
6.01 सुधार आधारित वितरण योजना	10064.05	...	10064.05	12585.00	...	12585.00	12665.00	...	12665.00	16021.00	...	16021.00
	-295.58	...	-295.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*9768.47*	*...*	*9768.47*	*12585.00*	*...*	*12585.00*	*12665.00*	*...*	*12665.00*	*16021.00*	*...*	*16021.00*
7. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना	31.56	...	31.56	40.00	...	40.00	37.00	...	37.00	40.00	...	40.00
8. बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन	...	...	...	96.00	...	96.00	46.00	...	46.00	200.00	...	200.00
9. ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण सुविधा - एडीईईटीआईई (उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के नियोजन में सहायता)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	72.00	...	72.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**12780.72**	**...**	**12780.72**	**16361.02**	**1.00**	**16362.02**	**15797.66**	**0.01**	**15797.67**	**18327.44**	**0.01**	**18327.45**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
10. प्रशिक्षण और अनुसंधान												
10.01 केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	143.95	...	143.95	180.00	...	180.00	140.00	...	140.00	80.00	...	80.00
10.02 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	22.94	...	22.94	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00
जोड़- प्रशिक्षण और अनुसंधान	*166.89*	*...*	*166.89*	*230.00*	*...*	*230.00*	*165.00*	*...*	*165.00*	*130.00*	*...*	*130.00*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
11. सीपीएसयू को सहायता												
11.01 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता	604.22	...	604.22	...	568.68	568.68	...	568.68	568.68	...	300.00	300.00
11.02 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड)	376.39	...	376.39	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40
11.03 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड)	1945.56	...	1945.56	1943.59	...	1943.59	1943.59	...	1943.59	1943.59	...	1943.59
11.04 एनटीपीसी द्वारा लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति	36.12	...	36.12	80.40	...	80.40	52.12	...	52.12	80.12	...	80.12
11.05 सुबनसिरि लोअर प्रोजेक्ट (एनएचपीसी) के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य की लागत के लिए अनुदान	56.98	...	56.98	51.98	...	51.98	40.00	...	40.00	13.00	...	13.00
जोड़- सीपीएसयू को सहायता	*3019.27*	*...*	*3019.27*	*2452.37*	*568.68*	*3021.05*	*2412.11*	*568.68*	*2980.79*	*2413.11*	*300.00*	*2713.11*
12. बोनस शेयर जारी करना												
12.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	...	957.72	957.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.02 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	861.53	861.53	...	...	...	...	1148.72	1148.72	...	...	...
12.03 विद्युत वित्त निगम (पीएफसी)	...	...	...	...	...	...	...	369.58	369.58	...	...	...
12.04 विविध पूंजीगत प्राप्तियां	...	-1819.25	-1819.25	...	...	...	...	-1518.30	-1518.30	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**3019.27**	**...**	**3019.27**	**2452.37**	**568.68**	**3021.05**	**2412.11**	**568.68**	**2980.79**	**2413.11**	**300.00**	**2713.11**
अन्य												
13. एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान	2.72	...	2.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. सड़कों/पुलों आदि जैसीअवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए लागत हेतु सहायता	...	10.00	10.00	...	60.00	60.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00
16. बाढ़ न्यूनीकरण स्टोरेज - जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता	...	109.00	109.00	...	449.25	449.25	...	493.06	493.06	...	299.20	299.20
17. अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान	20.36	...	20.36	12.01	...	12.01	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
18. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र	16.84	...	16.84	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	20.00	...	20.00
19. पीएमआरपी (जे एंड के) के लिए अतिरिक्त निधि	64.00	...	64.00	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
20. इक्विटी सहभागिता हेतु सहायता - पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	**103.92**	**119.00**	**222.92**	**92.02**	**509.25**	**601.27**	**83.01**	**543.06**	**626.07**	**25.01**	**349.21**	**374.22**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**3290.08**	**119.00**	**3409.08**	**2774.39**	**1077.93**	**3852.32**	**2660.12**	**1111.74**	**3771.86**	**2568.12**	**649.21**	**3217.33**
कुल जोड़	***16201.69***	***124.92***	***16326.61***	***19415.50***	***1086.50***	***20502.00***	***18718.45***	***1126.55***	***19845.00***	***21188.59***	***658.41***	***21847.00***

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. विद्युत	16143.71	...	16143.71	16173.34	...	16173.34	16000.66	...	16000.66	18960.95	...	18960.95
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	57.98	...	57.98	69.14	...	69.14	67.13	...	67.13	72.64	...	72.64
3. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	124.92	124.92	...	517.82	517.82	...	557.87	557.87	...	358.40	358.40
4. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	568.68	568.68	...	568.68	568.68	...	300.00	300.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**16201.69**	**124.92**	**16326.61**	**16242.48**	**1086.50**	**17328.98**	**16067.79**	**1126.55**	**17194.34**	**19033.59**	**658.40**	**19691.99**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	3173.02	...	3173.02	2650.66	...	2650.66	2155.00	...	2155.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**3173.02**	**...**	**3173.02**	**2650.66**	**...**	**2650.66**	**2155.00**	**0.01**	**2155.01**
कुल जोड़	**16201.69**	**124.92**	**16326.61**	**19415.50**	**1086.50**	**20502.00**	**18718.45**	**1126.55**	**19845.00**	**21188.59**	**658.41**	**21847.00**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
1. पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	157.22	157.22	...	30.00	30.00	...	298.00	298.00	...	300.00	300.00
जोड़-पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**...**	**157.22**	**157.22**	**...**	**30.00**	**30.00**	**...**	**298.00**	**298.00**	**...**	**300.00**	**300.00**
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
2. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	...	7370.90	7370.90	...	11193.19	11193.19	...	10394.00	10394.00	...	13000.00	13000.00
जोड़-नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**...**	**7370.90**	**7370.90**	**...**	**11193.19**	**11193.19**	**...**	**10394.00**	**10394.00**	**...**	**13000.00**	**13000.00**
दामोदर घाटी निगम लिमिटेड												
3. दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	...	2370.95	2370.95	...	3262.00	3262.00	...	3116.30	3116.30	...	3394.83	3394.83
जोड़-दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	**...**	**2370.95**	**2370.95**	**...**	**3262.00**	**3262.00**	**...**	**3116.30**	**3116.30**	**...**	**3394.83**	**3394.83**
पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
4. पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड	...	1133.77	1133.77	...	1841.18	1841.18	...	1387.00	1387.00	...	2600.00	2600.00
जोड़-पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**...**	**1133.77**	**1133.77**	**...**	**1841.18**	**1841.18**	**...**	**1387.00**	**1387.00**	**...**	**2600.00**	**2600.00**
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड												
5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	7581.53	7581.53	...	12000.00	12000.00	...	7000.00	7000.00	...	12000.00	12000.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
जोड़-सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	**...**	**7581.53**	**7581.53**	**...**	**12000.00**	**12000.00**	**...**	**7000.00**	**7000.00**	**...**	**12000.00**	**12000.00**
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
6. टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	5168.68	5168.68	...	3440.96	3440.96	...	5814.35	5814.35	...	3543.65	3543.65
जोड़-टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**...**	**5168.68**	**5168.68**	**...**	**3440.96**	**3440.96**	**...**	**5814.35**	**5814.35**	**...**	**3543.65**	**3543.65**
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड												
7. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	11219.00	11219.00	...	12250.00	12250.00	...	20000.00	20000.00	...	25000.00	25000.00
जोड़-पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	**...**	**11219.00**	**11219.00**	**...**	**12250.00**	**12250.00**	**...**	**20000.00**	**20000.00**	**...**	**25000.00**	**25000.00**
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
8. नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	19443.53	19443.53	...	22700.00	22700.00	...	22700.00	22700.00	...	26000.00	26000.00
जोड़-नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**...**	**19443.53**	**19443.53**	**...**	**22700.00**	**22700.00**	**...**	**22700.00**	**22700.00**	**...**	**26000.00**	**26000.00**
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड												
9. चिनाव वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	604.22	...	604.22	568.68	...	568.68	568.68	...	568.68	300.00	...	300.00
जोड़-चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	**604.22**	**...**	**604.22**	**568.68**	**...**	**568.68**	**568.68**	**...**	**568.68**	**300.00**	**...**	**300.00**
जोड़	**604.22**	**54445.58**	**55049.80**	**568.68**	**66717.33**	**67286.01**	**568.68**	**70709.65**	**71278.33**	**300.00**	**85838.48**	**86138.48**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विद्युत मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए किया जाता है।

रासैट-आईबी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और विद्युत मंत्रालय के आवंटन को वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों में और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में भी रखा गया है।

2.01. **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों और सुरक्षा संबंधी जरूरतों, ग्रिड मानकों और देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए उत्तरदायी है।

2.02. **संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना:** केंद्र सरकार ने गोवा एवं दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का वहन केंद्र सरकार और गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाता है।

2.03. **जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना:** केंद्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना की है।

2.04. **बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण:** विद्युत अधिनियम,2003 के प्रावधानों के तहत, केन्द्र सरकार ने विद्युत अपील अधिकरण की स्थापना की है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन न्याय-निर्णयन अधिकारी या उपयुक्त आयोगों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत, एपीटीईएल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपील अधिकरण है।

2.05. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि:** सीईआरसी पूर्ववर्ती विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधान के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और यह विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसने अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ववर्ती ईआरसी अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया है) के अंतर्गत कार्य करता है सीईआरसी के मुख्य कार्य केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के अलावा उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को छोड़कर अन्य कम्पनियों के टैरिफ को विनियमित करना है, यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक से अधिक राज्यों में दर्ज हों या इनके पास बिजली का उत्पादन और बिक्री की समग्र योजना हो, ट्रांसमिशन युटिलीटिज के टैरिफ सहित बिजली के अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन को विनियमित करना, अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन और व्यापक हेतु लाइसेंस प्रदान करना तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना है।

3.01. **ऊर्जा सरंक्षण:** इस निधि का उपयोग (i) जन साधारण के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरुकता लाने, (ii) ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखने, (iii) नेशनल मिशन फॉर इन्हैंस्ड एनर्जी एफिसिएंशी(एनएमईईई) को कार्यान्वित करने और (iv) निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने वाले प्रयासों को बढ़ाने। (v) प्रचालन, परियोजना प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सम्मान देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विधुत उत्पादन स्टेशनों, ट्रांसमिशन और वितरण सेवा केंद्रों और ग्रामीण वितरण फ्रैंचाइजी को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए किया जाता है।

4.02. **हरित ऊर्जा कॉरिडोर:** इस स्कीम में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व से समझौता किए बिना नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

4.03. **राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी:** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी योजना (जो क्रमशः डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस में समाहित की गई हैं) परियोजना क्षेत्रों में शामिल न किए गए क्षेत्रों के वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की स्थापना की जा रही है।

4.04. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार, (कार्यक्रम घटक):** यह परियोजना छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, मणिपुर, मेघालय , मिजोरम, त्रिपुरा, और नागालैंड में विद्युत प्रणाली में सुधार के लिए हैं। यह विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं। इन संवेदनशील सीमाओं वाले राज्यों को ध्यान में रखते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं को भारत सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए अलग कर दिया गया हैं ।

4.06. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में ट्रांसमिशन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में ट्रांसमिशन, सब-ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए एक व्यापक योजना की परिकल्पना की गई है।

5. **विद्युत प्रणाली विकास निधि:** इस स्कीम में (क) अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं ट्रांसमिशन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत खरीदकर डिस्कॉम के लिए सब्सिडी के प्रावधान (गैस घटक) की परिकल्पना की गई है।

6. **सुधार आधारित वितरण स्कीम:** यह योजना सभी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य संवितरण क्षेत्र के लिए 24X7 संवहनीय विद्युत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिणाम और सुधार आधारित वित्तीय सहायता के मिश्रण के रूप में संवितरण उप क्षेत्र के लिए है। इस योजना में संवितरण कंपनियों के सार्वजनिक निजी स्वामित्व, बहु आपूर्ति फ्रेंचाइजी सहित संवितरण स्तर में विभिन्न फ्रेंचाइजी प्रतिरूपों के अंगीकरण समेत सुधार पैकेजों को अपनाने के मामले में डिस्कॉम को मदद करने की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार ने जनजातीय आबादी के सर्वाधिक कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) नामक योजना शुरू की है। तदनुसार, सुधार संबद्ध वितरण योजना के अंतर्गत पीएम-जनमन के कारगर कार्यान्वयन के लिए निधियों के केंद्रीय हिस्से के रूप में संशोधित अनुमान 2024 -25 में 150 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2025-26 में 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार ने आदिवासी समुदायों और गांवों के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आकांक्षी ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करना है। तदनुसार, सुधार से जुडी वितरण योजना के तहत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों के केंद्रीय हिस्से के रूप में संशोधित अनुमान 2024-25 में 4.23 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2025-26 में 10 करोड़ रुपये का समर्पित प्रावधान किया गया है।

7. **भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना:** घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, मानकों और लेबलिंग उपकरणों, कृषि या नगर पालिकाओं, एसएमई और बड़े उद्योगों में मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्रों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता पहलों के कार्यान्वयन, औद्योगिक उप-क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानदंडों के विकास की प्रक्रिया, एसडीए, डिस्कॉम आदि की क्षमता निर्माण के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को निधियां उपलब्ध कराई जाती है।

8. **बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन:** पंप भंडारण संयत्रों और बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास संबंधी योजना। इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से व्यवहारिक ग्रिड-स्केल, लंबी अवधि के लिए ऊर्जा भंडारण का विकास तथा ऊर्जा भंडारण सेवाओं की नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए बडी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा का समेकन करना है।

9. **ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण सुविधा - एडीईईटीआईई (उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के नियोजन में सहायता):** विद्युत मंत्रालय ने उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को उपयोग मे लाने संबंधी सहायता के लिए एक ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण योजना तैयार की है। यह योजना एमएसएमई को वित्तीय लिखतों के माध्यम से ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों/उपायों के साथ अपग्रेड करने और निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, कार्यान्वयन की निगरानी और जांच करने में उन्हें संभालने की सुविधा प्रदान करने का इरादा रखती है।

10.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू, विद्युत शक्ति के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और विद्युत उपकरण एवं घटकों की जांच के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

10.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

11.01. **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता:** यह प्रधान मंत्री विकास पैकेज (2015) का एक भाग है, इसमें चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित पाकुल दुल एचईपी के लिए सहायता दी गई है।

11.02. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड):** इस आवंटन की आवश्यकता व्यय और बांडों के निर्गम, विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) द्वारा जुटाए गए अवसंरचना बांडों पर देय ब्याज के लिए है।

11.03. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड):** वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ईबीआर के ब्याज के भुगतान के लिए 4000 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान डीडीयूजीजेवाई एवं सौभाग्य (ग्रामीण) के लिए 15000 करोड़ रूपए जुटाए गए ।

11.04. **एनटीपीसी द्वारा लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति:** यह योजना लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर परियोजना के संबंध में अवार्ड के वितरण के लिए है।

11.05. **सुबनसिरि लोअर प्रोजेक्ट (एनएचपीसी) के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य की लागत के लिए अनुदान:** सुबनसिरि लोअर प्रोजेक्ट (एनएचपीसी) के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य पर व्यय। दिनांक 24.09.2019 को नीति आयोग में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सुबनसिरि लोअर प्रोजेक्ट के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जानी है।

15. **सड़कों/पुलों आदि जैसीअवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए लागत हेतु सहायता:** हाइड्रो परियोजना स्थल पर सडकों, पुलों जैसी अवसंरचनाओं के विकास के लिए आवंटन।

16. **बाढ़ न्यूनीकरण स्टोरेज - जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता:** जल विद्युत परियोजनाओं पर बाढ न्यूनीकरण स्टोरेज हेतु सहायता के लिए आवंटन।

17. **अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान:** भारत सरकार की तरफ से मुकदमे एवं विवाद के बचाव के लिए भारत कोरिया सीईपीए एवं भारत कोरिया बीआईटी के तहत विधि फर्म को भुगतान।

18. **आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र:** यह योजना 3 विभिन्न राज्यों में विद्युत् एवं नवीकरणीय उपकरणों हेतु स्थापित किए जाने वाले 3 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए है। इन जोनों में विनिर्माण सुविधाएं, अत्याधुनिक, स्वच्छ एवं ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगी, जो विद्युत क्षेत्र तथा नवीरकणीय ऊर्जा हेतु आवश्यक उपकरणों, महत्वपूर्ण घटकों, मूल कच्चे माल, महत्वपूर्ण पुरजों आदि पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए है।